

24-8-22

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलावाची गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह वादी/प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण स्वारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर जिला लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जावे।

5

उपखण्ड अधिकारी
मीमराना (अलवर) राज.

